न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 37/2017

1 प्रभुदयाल पुत्र भूराराम जाति माली निवासी कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.। मृत
1/1 सीताराम पुत्र स्व. प्रभुदयाल
1/2 हरिप्रसाद पुत्र स्व. प्रभुदयाल
1/3 दशरथ पुत्र स्व. प्रभुदयाल
1/4 राजकुमार पुत्र स्व. प्रभुदयाल
1/5 गीता पुत्री स्व. प्रभुदयाल
1/6 मीरा पुत्री स्व. प्रभुदयाल
1/7 मंजू पुत्री स्व. प्रभुदयाल
समस्त जाति माली निवासी कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 गिरधारीलाल उम्र 78 साल निवासी कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.। मृतक।
1/1 लालचन्द पुत्र स्व. गिरधारीलाल
1/2 विनोद पुत्र स्व. गिरधारीलाल
समस्त जाति माली निवासी कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
1/3 सन्तोष पुत्री स्व. गिरधारीलाल पत्नी गीगाराम वार्ड नम्बर 18 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
1/4 मीना पुत्री स्व. गिरधारीलाल पत्नी बंशीधर निवासी वार्ड नम्बर 1 दायरा खण्डेला जिला सीकर राज.।
1/5 उमा पुत्री स्व. गिरधारीलाल पत्नी सुभाषचन्द्र निवासी वार्ड नम्बर 1 बरसिंहपुरा रोड़ खण्डेला जिला सीकर राज.।
1/6 श्रवणी देवी पत्नी स्व. प्रकाश
1/7 प्रवीण पत्र स्व. प्रकाश पोत्र स्व. गिरधारीलाल
1/8 श्यामलाल पुत्र स्व. प्रकाश पोत्र स्व. गिरधारीलाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1/9 बजरंगलाल पुत्र स्व. प्रकाश पोत्र स्व. गिरधारीलाल
समस्त जाति माली निवासी कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
1/10 शीला पुत्री स्व. प्रकाश पोत्री स्व. गिरधारीलाल पत्नी सुभाषचन्द्र
1/11 रजनी पुत्री स्व. प्रकाश पोत्री स्व. गिरधारीलाल पत्नी अशोक कुमार
समस्त जाति माली निवास वार्ड नम्बर 2 कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
1/12 गुड्डी पुत्री स्व. प्रकाश पोत्री स्व. गिरधारीलाल पत्नी रामजीलाल निवासी गुढ़ा जिला झुन्झुनूं राज.।
2 सुमित्रा देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति कुम्हार निवासी हरदाकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
3 राजकुमार पुत्र धन्नाराम अग्रवाल निवासी आदर्श कॉलोनी वार्ड नम्बर 6 नीमकाथाना जरिये अध्यक्ष जे.जे. बहुउद्देश्य शिक्षा एवं सेवा संस्थान जुगलपुरा।
4 सौरभ कुमार पुत्र राजेन्द्र अग्रवाल जाति महाजन निवासी नीमकाथाना जरिये सचिव जे.जे. बहुद्देश्य शिक्षा एवं सेवा संस्थान जुगलपुरा।
5 अकित कुमार पुत्र मोतीलाल गोयल जाति महाजन निवासी भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जरिये कोषाध्यक्ष जे.जे. बहुउद्देश्य शिक्षा एवं सेवा संस्थान जुगलपुरा।
6 कमलेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति कुमावत निवासी हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
7 पटवारी पटवार हल्का जुगलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर।
8 उप पंजीयक खण्डेला
9 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर।
10 नारायण उम्र 93 साल
11 बंशी उम्र 88 साल मृतक
11/1 राजेश कुमार पुत्र स्व. बंशी
11/2 देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व. बंशी
11/3 विमला देवी पत्नी बंशी
11/4 सरीता पुत्री स्व. बंशी
समस्त जाति माली निवासी कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
11/5 पुष्पा पुत्री स्व. बंशी पत्नी शिवप्रसाद निवासी सुन्दरवाल रायपुर देहरादून।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

11/6 बबीता पुत्री स्व. बंशी पत्नी पवन कुमार निवासी अटेली मण्डी हरियाणा।
12 कैलाश उम्र 53 साल
13 राजेश उम्र 49 साल
14 कमल उम्र 43 साल पुत्रगण रामस्वरूप पौत्र भूराराम निवासी कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 05.09.2016
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला
उनवानी प्रकरण दावा संख्या 177/2014
प्रभुदयाल बनाम गिरधारी आदि

उपस्थिति :
1. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह तंवर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री बजरंगलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24/9/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 177/2014 में पारित निर्णय दिनांक 05.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्टस ने एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी सीकर

खसरा नम्बर पुराने 1363 जिसके नये खसरा नम्बर 2568, 2569 वाके ग्राम जुगलपुरा तहसील खण्डेला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि में से 0.25 है. भूमि सांस्थानिक प्रयोजन हेतु रूपान्तरण हो जाने एवं भूमि का विक्रय पत्र होकर अप्रार्थी के नाम दर्ज हो जाने के आधार पर उक्त आवेदन अ. आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवादित भूमिक वल मात्र 0.25 है. नहीं होकर 1.14 है. भूमि है। प्रतिवादी द्वारा सम्पूर्ण भूमि का विक्रय पत्र नहीं किया जाकर केवल मात्र अपने हिस्से तक का बेचान किया गया है। इस प्रकार शेष भूमि में अपीलान्ट का हक हिस्सा आज भी मौजूद है। केवल मात्र विक्रय पत्र को शुन्य घोषित करवाये जाने हेतु वाद पत्र दायर नहीं किये जाने के आधार पर वाद पत्र गलत रूप से निरस्त किया गया है। शुन्य व प्रभावहीन विक्रय पत्र को न्यायालय से निरस्त करवाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन 7 नियम 11 स्वीकार कर भारी भुल कारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम चली आ रही होने को आधार मानकर उक्त आवेदन स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी संवत 2024 से 2030 की जमाबन्दी में भूरा पुत्र काना माली को अतिक्रमी के रूप में दर्शाया गया है व इसके पश्चात संवत 2027 से 2030 में नारायण, बंशी, गिरधारी, प्रभु, रामस्वरूप पुत्रगण भूरा माली को दर्शित किया गया है। उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 अकेले को उक्त भूमि में कोई कब्जा, काश्त नही होना साबित होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर नही कर केवल मात्र वर्तमान खातेदारी के आधार पर ही उक्त आदेश पारित कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त विवादित भूमि किस आधार पर आयी इस बारे में कोई मनन नहीं किया गया। विवादित भूमि दिनांक 16.10.1977 को नियमन कमेटी द्वारा वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम भी अलॉट थी। प्रतिवादी सं. 1

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

द्वारा गलत रूप से राजस्व कर्मियों से साजकर अपने अकेले के नाम नामान्तकरण करवा लिया गया। वास्तविक स्थिति यह है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण राजकाज के कार्य प्रतिवादी सं. 1 द्वारा सम्पादित किये जाते थे। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट शामलाती रूप में शुरू से सेटलमेंट पूर्व से काश्त करते आ रहे है। वादी व तरतीबी प्रतिवादी कमाने खाने हेतु अहमदाबाद चले गये। उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 को बटाई पर दे दी गई। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा विश्वासघात करके विवादित भूमि की गैर खातेदारी गलत रूप से अपने अकेले के नाम करवा ली गयी व उक्त गलत खातेदारी के आधार पर कतई गलत फर्जी व नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर बेचान कर दिया गया। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के दिनांक 05.09.2016 उनवानी प्रकरण सं. 177/2014 प्रभूदयाल बनाम गिरधारी आदि में पारित आदेश को निरस्त फरमावें। तथा उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्टस ने एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 1363 जिसके नये खसरा नम्बर 2568, 2569 वाके ग्राम जुगलपुरा तहसील खण्डेला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा गत खसरा नम्बर 1363 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 2568, 2559 के संदर्भ में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। विवादित भूमि का कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर है। इस भूमि में 0.25 हैक्टेयर भूमि का संस्थानिक रूपान्तरण हो चुका है। शेष भूमि खातेदारी में दर्ज है। संस्थानिक रूपान्तरण होने के कारण राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का प्रकरण नहीं है। वादी द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में निष्पादित विक्रय पत्रों को राजस्व न्यायालय से शुन्य घोषित करने का अनुतोष चाहा है। विधि अनुसार विक्रय पत्रों को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। विवादित भूमि की खातेदारी, नामान्तकरण, विक्रय पत्रों को वादी अपीलान्ट द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में वादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

को वादकरण हासिल नहीं है। फलतः विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 के तहत विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में वाद वादी अपीलान्ट का था। अपीलान्ट की विचारण न्यायालय में जरिये वकील उपस्थिति रही है। इसके उपरांत भी अपील 8 माह के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। इस विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद एवं युक्तिसंगत कारण अपीलान्ट द्वारा प्रकट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट की अपील गुणावगुण एवं मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्टस ने एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 1363 जिसके नये खसरा नम्बर 2568, 2569 वाके ग्राम जुगलपुरा तहसील खण्डेला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया।

विचारण न्यायालय में वादी द्वारा गत खसरा नम्बर 1363 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 2568, 2559 के संदर्भ में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। विवादित भूमि का कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर है। इस भूमि में 0.25 हैक्टेयर भूमि का संस्थानिक रूपान्तरण हो चुका है। शेष भूमि खातेदारी में दर्ज है। संस्थानिक रूपान्तरण होने के कारण राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का प्रकरण नहीं है।

वादी द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में निष्पादित विक्रय पत्रों को राजस्व न्यायालय से शुन्य घोषित करने का अनुतोष चाहा है। विधि अनुसार विक्रय पत्रों को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। विवादित भूमि की खातेदारी, नामान्तकरण, विक्रय पत्रों को वादी अपीलान्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में वादीगण को वादकरण हासिल नहीं है।

फलतः विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 के तहत विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में वाद वादी अपीलान्ट का था। अपीलान्ट की विचारण न्यायालय में जरिये वकील उपस्थिति रही है। इसके उपरांत भी अपील 8 माह के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। इस विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद एवं युक्तिसंगत कारण अपीलान्ट द्वारा प्रकट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील गुणावगुण एवं मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24/9/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अ[illegible])
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर